

# कार्यालय नगरपालिका परिषद

दूण्डला जिला फिरोजाबाद (उ०प्र०)

## उपबन्ध पत्र

कॉलोनी लेआउट प्लान 2015-2016

पत्रांक संख्या.....274.....

दिनांक 7/01/2016

सूचित हो कि आपकी कॉलोनी का लेआउट मानचित्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के स्वीकृत किया जाता है, जिसका पालन करना अनिवार्य/आवश्यक होगा। स्वीकृति के नियम और शर्तों के अनुसार नहीं किया जायेगा तो बिना पूर्व किसी सूचना के पालिका एजेन्सी द्वारा आपके कॉलोनी का विकास/निर्माण कार्य रोक दिया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी जिसके हर्जे-खर्चे के आप स्वयं जिम्मेदारी होंगे।

1. उक्त कॉलोनी में होने वाले समस्त विकास कार्य/सुधार कार्य अपने व्यय द्वारा कराने होंगे जो निम्नवत् है :-

क. सड़कों और गलियों का श्रेणीकरण करना, खरंजा बनवाना, पर नालियों-गटर-पार्श्ववत नालियों के लिये व्यवस्था।

ख. जल-मल निस्तारण का प्रबन्ध।

ग. पर्याप्त सुरक्षित जल-संभरण के लिये व्यवस्था।

घ. सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध।

ङ. पार्कों और खेल के मैदानों का प्रबन्ध जो सार्वजनिक उपयोग होने के लिये विकास कराना होगा, एवं विकास में होने वाले समस्त व्यय को भू स्वामी स्वयं वहन करेगा।

2. कॉलोनी का निर्माण राष्ट्रीय मार्गों पर रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत और वर्तमान में जो भी उपबन्ध लागू हों, का पालन अनिवार्य होगा।

3. स्थानीय निकाय/नगर पालिका की सड़कों व नालियों से कॉलोनी की वाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य 5 फीट पीछे से किया जायेगा।

4. स्वीकृत मानचित्र की भूमि, सड़कों, नालियों आदि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

(प.फ.०)



अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
दूण्डला (फिरोजाबाद)

5. स्वीकृत मानचित्र की भूमि पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा/विवाद उत्पन्न होता है तो स्वीकृत मानचित्र निरस्त समझा जायेगा और हर्जे-खर्चे का स्वयं उपनिवेशक/भू स्वामी जिम्मेदार होगा।
6. प्रारम्भिक स्वीकृति विन्यास मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से 1 वर्ष के लिये ही मान्य होगी।
7. प्रारम्भिक स्वीकृति के बाद भूखण्डों का डिमार्केशन करवाकर लेआउट प्लान की तीन प्रतियां अन्तिम स्वीकृति हेतु पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
8. डिमार्केशन तकनीकी व्यक्ति द्वारा कराना होगा जिससे पैमाइश में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहने पाये। पंजीकृत तकनीकी व्यक्ति को इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उक्त भूमि की पैमाइश मैंने स्वयं की है तथा मानचित्र स्वयं तैयार कर डिमार्केशन करके अन्तिम रूप दिया है और विकास कार्य मेरी देख-रेख में होगा।
9. लेआउट की प्रारम्भिक स्वीकृति के बाद भूखण्डों की संख्या में वृद्धि नहीं की जायेगी।
10. कॉलोनी का अतिरिक्त विस्तार करने की स्थिति में अलग से लेआउट प्लान स्वीकृत कराना होगा।
11. प्रारम्भिक स्वीकृति में पार्क का दर्शाया गया क्षेत्रफल किसी भी दशामें कम नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार मार्गों की चौड़ाई को भी कम नहीं किया जायेगा।
12. भू स्वामी भवन निर्माण होने से पूर्व प्रत्येक भू खण्ड का पृथक-पृथक भवन मानचित्र होने तथा भू स्वामी अपनी कॉलोनी की परिधि के अन्दर विक्रय किये गये भू खण्डों का विकास शुल्क (विलेख खुल्क) जमा कराने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. लेआउट प्लॉट की प्रारम्भिक/अन्तिम स्वीकृति में दर्शाया गया पार्क किसी भी दशा में विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

5/11/16  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पालिका परिषद  
 झुंडला (फिरोजाबाद)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR RADHA ENGINEER COLONY  
 SITUATED AT MAUDA BASAI  
 KHASRA NO 2861/2862  
 TUNDLA DISTT. FEROZABAD

# COLONY PLAN



## KEY PLAN

### REFERENCES

CULVERT	
COLONY BOUNDARY	
DRAIN LINE	
ELECTRIC POLE	

TOTAL AREA - COLONY	49335.44 SQ. YD.
TOTAL PLOTS AREA	40048.450. YD.
TOTAL PARK AREA	3169.000. YD.
TOTAL ROAD AREA	6117.990. YD.



SEAL OF APPROVAL

PROPOSED COLONY

K. SHAI  
 ENGINEER

11.16

TO ETAF

TO RLY STATION

TO FEROZABAD

11.16